भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-48
उत्तर देने की तारीख-22/07/2024

कोचिंग सेंटरों में 16 साल से कम आयु के छात्रों के नामांकन पर प्रतिबंध

†48. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने नए दिशाानिर्देश जारी किए हैं जिनमें कोचिंग सेंटरों को 16 वर्ष से कम आयु के छात्रों का नामाकन करने से मना किया गया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या 16 वर्ष से कम आयु के छात्रों के नामांकन पर रोक लगाने से छात्रों पर मनोवैनिक दबाव कम होता है;
(घ) सरकार द्वारा अन्य कौन-कौन से दिशानिर्देश जारी किए गए हैं और वे पूर्व के दिशानिर्देशों से किस प्रकार भिन्न हैं; और
(ड.) क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कोचिंग सेंटर नए दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करेंगे?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकांत मजूमदार)

(क) से (ड.): किसी भी निर्धारित नीति या नियमन के अभाव में देश में अनियमित निजी कोचिंग सेंटरों की संख्या में वृद्धि ऐसे केंद्रों द्वारा छात्रों से अत्यधिक फीस वसूलने के मामले; छात्रों पर अनावश्यक दबाव के कारण छात्रों द्वारा आत्महत्या करने और इन केंद्रों द्वारा अपनाई जा रही कई अन्य कुप्रथाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने उचित कानूनी व्यवस्था के माध्यम से विचार करने के लिए दिनांक **16.01.2024** को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कोचिंग सेंटरों के नियमन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। दिशा-निर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, **16** वर्ष से कम आयु के छात्रों के नामांकन न करने या छात्र का नामांकन केवल माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के बाद करने की सिफारिश की गई है।

बोर्ड परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं सहित माध्यमिक विद्यालय परीक्षाओं की वर्तमान प्रकृति, आज की कोचिंग संस्कृति और इसके हानिकारक प्रभाव को स्वीकार करते हुए और कोचिंग कक्षाओं की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए बोर्ड और प्रवेश परीक्षाओं की मौजूदा प्रणाली में सुधार का सुझाव देते हुए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आज की 'कोचिंग संस्कृति' को प्रोत्साहित करने वाले योगात्मक मूल्यांकन के बजाय अधिगम के लिए नियमित रूप से रचनात्मक मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें अधिक लचीलापन, विद्यार्थियों की पसंद और दो प्रयासों में से सर्वश्रेष्ठ को शामिल करने, मुख्य रूप से मूल क्षमताओं की जांच करने वाले मूल्यांकन और बोर्ड परीक्षाओं के ऐसे और अधिक व्यवहार्य मॉडल विकसित करने का सुझाव दिया गया है, जो दबाव और कोचिंग संस्कृति को कम करते हैं।

इसके अतिरिक्त, कोचिंग सेंटरों के नियमन के लिए दिशा-निर्देशों में यह प्रावधान है कि कोचिंग सेंटरों को कोचिंग कक्षाएं इस तरह से संचालित करनी होगी कि यह किसी छात्र के लिए अत्यधिक न हो। इसमें यह भी प्रावधान है कि उन छात्रों के लिए कोचिंग कक्षाएं जो संस्थानों/स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनके संस्थानों/स्कूलों के समय के दौरान संचालित नहीं की जाएंगी, ताकि ऐसे संस्थानों/स्कूलों में उनकी नियमित उपस्थिति अप्रभावित रहे और डमी स्कूलों से भी बचा जा सके।

जबकि इससे पहले राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को दिनांक 04.04.2017, 14.08.2019 और 24.12.2020 के पत्रों/परामर्शों के माध्यम से अनुरोध किया गया था कि वे उचित कानूनी व्यवस्था के माध्यम से अपने अधिकार क्षेत्र में कोचिंग सेंटरों के नियमन के लिए आवश्यक कार्रवाई करें, ताकि छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और अनावश्यक शोषण से बचा जा सके, दिनांक 16.01.2024 के पत्र के माध्यम से जारी दिशानिर्देश कोचिंग सेटरों के नियमन से संबंधित मुद्दों को व्यापक रूप से शामिल किया गया हैं।

चूंकि शिक्षा समवर्ती सूची में है, इसलिए राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को उचित कानूनी व्यवस्था के माध्यम से अनुवर्ती कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

*****